न्यायालय अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :–उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सख्या 53/2007

1. रूप सिंह (फौत)
   1/1 नसीब कौर पत्नि रूप सिंह जाति जटसिख निवासी डबलीवास कुतुब, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
   1/2 गमदूर सिंह पुत्र रूप सिंह जाति जटसिख निवासी डबलीवास कुतुब, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
   1/3 अमरजीत कौर पुत्री रूप सिंहजाति जटसिख निवासी डबलीवास कुतुब, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
   1/4 परमजीत कौर पुत्री रूप सिह जाति जटसिख निवासी डबलीवास कुतुब, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
2. सरूप सिंह पुत्र बोगा सिंहजाति जटसिख निवासी डबलीवास कुतुब, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0) (फौत)
   2/1 गुरविन्द्र कौर पुत्री श्री सरूप सिंह पत्नी श्री जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 36 एसएसडब्लयू. सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
   2/2 जगतार सिह पुत्र श्री सरूप सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 06, डबलीवास कुतुब तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
   2/3 इकबाल सिह पुत्र श्री सरूप सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 06, डबलीवास कुतुब तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
   2/4 अवतार सिंह पुत्र श्री सरूप सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 06, डबलीवास कुतुब तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
   2/5 बलजीत सिंह पुत्र श्री सरूप सिंह (फौत)
   2/5/1 हरविन्द्र कौर पत्नी श्री बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 06, डबलीवास कुतुब तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
   2/5/2 हरप्रीत सिंह पुत्र श्री बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 06, डबलीवास कुतुब तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
3. तेजा सिंह पुत्र बोगा सिंह जाति जटसिख निवासी डबलीवास कुतुब, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

—: अपीलार्थीगण

बनाम

1. धर्मवीर पुत्र धन्नारामजाति जाट निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
2. ख्यालीराम पुत्र धन्नाराम (फौत)
   2/1 आत्माराम जाति जाट निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)(फौत)
   2/1/1 प्रेमलता पत्नी श्री आत्माराम जाति जाट निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
   2/1/2 स्वीटी पुत्री श्री आत्माराम पत्नी श्री राकेश जांदू जाति जाट निवासी फतुही जिला श्री गंगानगर (राज0)
   2/1/3 मुकेश सिहाग पुत्र श्री आत्माराम जाति जाट निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
   2/2 ओमप्रकाश (फौत) (पुत्र)
   2/2/1 इन्द्रा पत्नि ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ(राज0)
   2/2/2 विजय सिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ(राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.07 11:14:33 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ

2/2/3 मीना उर्फ मीनाक्षी पुत्री ओमप्रकाश पत्नी परीक्षित सहारण पुत्र सरजीत सहाण जाति जाट निवासी 3 जे 10, जवाहर नगर, श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर (राज0)
2/3 प्रेम (फौत) (पुत्र)
2/3/1 गुड्डी पत्नि प्रेम जाति जाट निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ(राज0)
2/3/2 राय सिंह पुत्र प्रेम जाति जाट निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ(राज0)
2/3/3 मन्जू पुत्री प्रेम पत्नी श्री विजय सिह भाम्भू जाति जाट निवासी शिवराज निकेतन, वैशाली नगर, जयपुर तहसील व जिला जयपुर (राज0)
2/3/4 अनुपमा पुत्री प्रेम पत्नी आदित्य चाहर पुत्री देवीलाल चाहर जाति जाट निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज0)
2/4 इन्द्राज (फौत) (पुत्र)
2/4/1 बिमला पत्नि इन्द्राज जाति जाट निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
2/4/2 अजय पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
2/4/3 विकास पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

3. बद्रीराम पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ (फौत)
3/1 वेदप्रकाश पुत्र बद्रीराम जाति जाट निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
3/2 गुड्डी देवी उर्फ सुमित्रा देवी पुत्री बद्रीराम पत्नी रेवताराम जाति जाट निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
3/3 सीमा उर्फ सुमित्रा देवी पुत्री बद्रीराम (ससुर का नाम रामलाल सहारण) जाति जाट निवासी ढाणी नजदीक कच्ची पक्की डबली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज0)
3/4 कलावती पुत्री बद्रीराम (ससुर का नाम रामलाल सहारण) जाति जाट निवासी ढाणी नजदीक कच्ची पक्की डबली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज0)
3/5 सरोज पुत्री बद्रीराम (ससुर का नाम रामलाल सहारण) जाति जाट निवासी ढाणी नजदीक कच्ची पक्की डबली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज0)
3/6 मुखराम (फौत)
3/6/1 प्रभु देवी पत्नी श्री मुखराम जाति जाट निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
3/6/2 मुकेश पुत्र श्री मुखराम जाति जाट निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
3/6/3 ऊषा पुत्री श्री मुखराम पत्नी श्री रोहिताश जाति जाट निवासी कालुआना तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
3/6/4 पुष्पा पुत्री श्री मुखराम पत्नी श्री राजपाल जाति जाट निवासी कालुआना तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
3/6/5 सुमन देवी पुत्री श्री मुखराम पत्नी श्री सुरेन्द्र पाल जाति जाट निवासी नथौर तहसील रानिया जिला सिरसा (हरियाणा)

4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, हनुमानगढ (राज0)

—: प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार भू.अ. हनुमानगढ दिनांक 06.09.1990 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्टान के पक्ष में नामान्तरण स्वीकार किया गया, को निरस्त करने बाबत्।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.07 11:14:33 IST
Reason: Self Attested

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

उपस्थित :—

1. श्री महेन्द्र सिंह सन्धू, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. रेस्पोडेन्ट्स अनुपस्थित।

—:निर्णय:—

दिनांक:—02.12.2024

1. अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपील आदेश दिनांक 06.09.1990 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है तथा पूर्व में दिनांक 25.01.1994 को मियाद के आधार पर अपील खारिज फरमाई गई जिसके विरूद्व अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 22.07.1996 को स्वीकार की जाकर श्रीमान जिला कलैक्टर हनुमानगढ के आदेश दिनांक 25.01.1994 व तहसीलदार हनुमानगढ का आदेश दिनांक 06.09.1990 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि विवादग्रस्त भूमि के सही स्वामित्व की जांच करे तथा जांच के दौरान उभय पक्ष को सुनवाई एंव साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जावे तथा न्यायालय के आदेश तक भूमि का कब्जा रूप सिंह अपीलार्थी के पास रहेगा तथा दिनांक 03.04.1999 को अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई गई जिसके विरूद्व माननीय सम्भागीय आयुक्त महोदय, बीकानेर के समक्ष अपील संख्या 12/1999 प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.04.1999 को निरस्त करते हुए दिनांक 19.09.2007 को इस प्रकरण इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया कि सम्बन्धित रिकार्ड का अवलोकन करने व दोनो पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया।
2. वादग्रस्त आराजी 02.06.1976 को थावरदास को आवंटित हुई जिसकी सनद दिनांक 22.12.1976 को बनी तथा वादग्रस्त आराजी का कुछ हिस्सा दिनांक 09.05.1977 व 29.08.1979 को अपीलार्थीगण रूप सिंह आदि को बेच दिया। थावरदास को आवंटन होने से पूर्व वादग्रस्त आराजी लक्खा सिंह को बतौर क्लेमेट आवंटन हुई थी तथा लक्खा सिंह का क्लेम झूठा होने के कारण निरस्त कर दिया, फिर राजस्व रिकार्ड में लक्खा सिह का नाम चलता रहा व जिला पुर्नवास अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी के आदेशो के बावजूद भी क्रय की गई आराजी का नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थीगण के नाम नही किया गया।
3. अपीलाधीन आदेश बिना किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया अपनाए एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजी पर सन् 1977 से अपीलार्थीगण का कब्जा है। नामान्तरण बिना जांच किया गया है। उक्त समस्त तथ्यों का ज्ञान राजस्व कर्मचारीयों को भी था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम विरूद्व रूप से उक्त नामान्तरण दर्ज किया गया है तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर न्यायसंगत आदेश अपीलार्थीगण के पक्ष में पारित करने के अनुतोष के साथ अपील प्रस्तुत की।
4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा अपने अपील मीमों एवं लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.09.1990 के विरूद्व उक्त अपील प्रस्तुत की गई है तथा चक 7 एसटीजी में विवादग्रस्त भूमि थावरदास सिंधी को दिनांक 24.06.1977 को पुर्नवास विभाग द्वारा आवंटित है तथा पूर्व में यह भूमि लक्खा सिंह को आंवटित थी जो गलत आवंटन होने के कारण निरस्त हो गई। थावरदास आवंटी को इस भूमि की सनद संख्या 11184 दिनांक 23.12.1976 को मिलने पर दिनांक 09.05.1977 व 29.08.1979 को जरिये पंजीकृत बैयनामा भूमि क्रय कर उसी रोज कब्जा भी प्राप्त कर लिया। अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज करने से पूर्व [illegible] को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया। वादग्रस्त आराजी अपीलार्थीगण के [illegible] व धारणा में अर्सा दराज पूर्व से चली आ रही है तथा थावरदास को [illegible] दिनांक 23.12.1976 को तथा अलॉटमेन्ट आदेश दिनांक 24.06.1976 को [illegible] हुआ, जिसका नोट अलॉटमेन्ट आदेश में लगा हुआ है व उप जिलाधीश हनुमानगढ [illegible] भी दिनांक 24.09.1980 को उक्त आराजी का नामान्तरण दर्ज करने हेतु आदेश जारी हुआ था जिसमें लक्खा सिह के नाम को निरस्त करने का आदेश जारी हुआ था। दिनाक 13.06.1988 को लक्खा सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र जिला पुर्नवास अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी लक्खा

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.07 11:14:33 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सिंह के अलॉटमेन्ट को प्रार्थी के नाम से बहाल किया जावे व थावर दास के अलॉटमेन्ट को निरस्त किये जाने का निवेदन किया तथा उक्त तथ्यों के अनुसरण में लक्खा सिंह की अलॉटमेन्ट खारिज हो चुकी है जिसे स्वयं भी लक्खा सिंह द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया गया एंव वादग्रस्त आराजी बिना किसी बाधा के अपीलान्टान के कब्जा काश्त में चली आ रही है, जिस बाबत पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 24.12.1978 को घटना बही में विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रेषित की, इस कारण अपीलाधीन आदेश काबिल खारिजी है तथा पंजीकृत बैयनामें दिनांक 09.05.1977 व 29.08.1979 के अनुसरण में अपीलार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

अभिभाषक अपीलांट्स की बहस सुनी गयी।

पत्रावली पूर्व में दिनांक 20.05.2024 से बहस के प्रक्रम में है। जिसमें बार बार बहस हेतु अवसर चाहा जा रहा था। अंतिम अवसर दिये गये, न्यायहित में अवसर दिये गये। बहस हेतु मौखिक हिदायत भी दी जा रही थी। उसके उपरान्त भी अभिभाषक अप्रार्थी को बहस हेतु दिनांक 25.11.24 को नोटेड होने के बावजूद दिनांक 27.11.24 को अभिभाषक अप्रार्थी उपस्थित नहीं। दिनांक 27.11.2024 को दूरभाष पर अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा एक दिन का समय चाहने पर पुनः समय दिया जाकर रेस्पो0 की बहस हेतु दिनांक 29.11.24 को रखी गयी। दिनांक 29.11.24 को रेस्पो0 की तरफ से ना तो रेस्पो0 स्वयं और ना ही उनके अधिवक्ता उपस्थित। बावजूद सूचना रेस्पो0 लम्बे समय से पैरवी करने, सूचना और न्यायालय को आश्वासित करने के बावजूद रूचि नहीं लेने से स्पष्ट है कि रेस्पो0 को अपील में अपना पक्ष रखने की रूचि नहीं होने तथा प्रकरण अत्यधिक पुराना यानि वर्ष 2007 से लंबित होने के कारण प्रकरण गुणावगुण के आधार पर निर्णय किये जाने का उचित प्रतीत होने पर पत्रावली में अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर पत्रावली में मौजूद दस्तावेजों के आधार पर आदेश में रखी गयी।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त बीकानेर से रिमाण्डेड प्रकरण है जिसमें पुनः विधि सम्मत रूप से विचार कर निर्णय पारित किया जाना है।

निम्न बिन्दुओ पर विचार किया गयाः—

1. अपीलांट के आवंटन आदेश दिनांक 24.06.1976 पर पूर्व आवंटी लक्खा सिंह का आवंटन निरस्त करने का अंकन है । पत्रावली में सलंग्न उक्त आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि में अकंन है कि (The area allotted at sqr no. 01 of chak no 7 stg was cancelled from the name of Sh. Lakha Singh etc s/o Kala Singh.) इसके अतिरिक्त स्वयं लक्खा सिंह ने प्रार्थना पत्र दिनांक 13.06.1988 जो जिला पूर्नवास अधिकारी श्रीगंगानगर को दिया गया था, के बिन्दू संख्या 1 में अंकन किया है कि चक 7 एसटीजी में 13 बीघा रकबा महकमा कस्टोडियन से प्रार्थी को आवंटित है, और बतौर खातेदार दर्ज है। प्रार्थना पत्र की बिन्दू संख्या 2 में अंकन है कि अप्रार्थी थावरदास वल्द श्री गागनदास उर्फ मुर्दुलमल ने उक्त रकबा में से 8 बीघा रकबा तथाकथित रूप से अपने नाम महकमा पुनर्वास विभाग से आवंटित करवा लिया है। इससे स्पष्ट है कि प्रकरण में दोहरा आवंटन की स्थिति नहीं है, और श्री थावरदास को हुए आवंटन की जानकारी पूर्व खातेदार श्री लक्खा सिंह को होना उनके उक्त प्रार्थना से भलीभांति साबित होती है।
2. इस प्रकार अप्रार्थी की स्वयं की स्वीकृति होने के कारण अन्य साक्ष्य आवश्यक नही है और स्पष्ट है की प्रश्नगत भूमि का पूर्व में [illegible] को किया आवंटन निरस्त करने के पश्चात ही श्री थावरदास [illegible] रिपोर्ट पटवारी दिनांक 27.04.1978 व तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 2[illegible].2008 के अनुसार आवंटी थावरदास ने जरिय पंजिबद्ध बैयनामे दिनांक 09.05.1977 एंव 29.08.1979 में रूपसिंह, सरूप सिह, तेजासिंह को विक्रय की और भूमि विक्रय के स[illegible] से विक्रय पत्र अनुसार कब्जा प्राप्त कर आज दिनांक तक प्रश्नगत भूमि पर काबिज है। जहां तक राजस्व रिकॉर्ड में खारिज किये गये आवंटित रकबे को श्री लक्खा सिंह की खातेदारी से कम करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.07 11:14:33 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

काम राजस्व कर्मियों का था, यह भूल आवंटी श्री थावरदास की नहीं होने के कारण उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

3. अप्रार्थी द्वारा इस प्रकार का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही करवाया है जिससे यह साबित हो की प्रश्नगत भूमि रिकार्ड के अनुसार उनके कब्जा में रही हो।

4. इससे यह भलीभांति स्पष्ट है की पूर्व आवंटी का आवंटन निरस्त होने के पश्चात राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमल नही किया गया, जो अपीलांट्स की गलती नही होकर राजस्व क्रर्मीयों की प्रतित होती है। जिसका समर्थन उपजिलाधीश हनुमानगढ द्वारा जारी पत्रांक क्रमांक राजस्व/80/3385 दिनांक 24.09.1980 करता है, जिसमें आवंटित प्रश्नगत भूमि को आवंटी श्री थावरदास के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश है। तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा घटना बही दिनांक 27.04.1977 बुधवार के अनुसार *आवंटी श्री थावरदास पत्थर नंबर 89/274 किला नंबर 2–3–10 कुल 3 बीघा जो मौका पर खाली था, रकबे में घूमकर पूर्ण रूप से निशान दिखाकर कब्जा दिया, श्री थावरदास द्वारा उक्त रकबे का कब्जा लिया व सभी मौतबिरान के सामने पत्थर नंबर 89/274 के किला नंबर 2–3–10 कुल 3 बीघा पर अपना हल चलाया, श्री थावरदास को कुल 16 बीघा रकबा आवंटित था। जिसमें से पत्थर संख्या 89/274 किला नंबर 4,5,6 कुल 2 बीघा 19 बिस्वा पत्थर नंबर 89/274 किला नंबर 1,8,9 कुल 3 बीघा पत्थर 92/275 किला नंबर 24 , 92/276 किला नंबर 4–5 कुल 1 बीघा 16 बिस्वा, पत्थर नंबर 90/278 किला नंबर 8/–6, 10,11,12 6–5/10 बिस्वा खाला कुल 12 बीघा 6 बिस्वा का कब्जा पूर्व में दिया गया था। इस पर श्री थावरदास का कब्जा काश्त है। शेष पत्थर नं 89/274 किला नंबर 2,3,10 कुल 3 बीघा का कब्जा अब दिया गया, यानि थावरदास को कुल 15 बीघा 6 बिस्वा पर कब्जा मौका पाया गया। पत्थर नंबर 96/276 किला नंबर 4 रकबा 15 बिस्वा, 7,14,17 कुल 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि का कब्जा थावरदास के मुख्त्यार श्री रिजुमल को दिया गया था। किन्तु अब मौका पर 3 बीघा 16 बिस्वा पर श्री बोगासिंह पुत्र किशनसिंह का कब्जा है, श्री थावरदास ने इन 3 बीघा का कब्जा लेना इन मौतबिरान के रूबरू इकरार किया,* का अंकन है।इससे थावरदास को प्रश्नगत भूमि का आवंटन व कब्जा होना साबित होता है, साथ ही यह भी साबित होता है कि तत्समय लख्खा सिंह का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं था।

5. आवंटी थावरदास द्वारा संपांदित विक्रय पत्रों से भूमि का निम्नानुसार विक्रय किया:–

क्र.सं	विक्रय पत्र	रकबा	क्रेता
1	05.09.1977	86/276 कि.नं. 14–17 कुल 2 बीघा	सरूप सिंह
2	05.091977	86/276 कि.नं.4/–16, 7 कुल 1 बीघा 16 बिस्वा	रूप सिंह
3	29.08.1979	88/274 कि.नं. 4,5/–17,6/–17 प0नं0 92/275 कि.नं. 24 प0नं0 90/276 कि0नं0 9,10 कुल 4 बीघा 14 बिस्वा	रूप सिंह
4	29.08.1979	प0नं0 89/274 कि.नं. 1ता 3, प0नं0 92/276 कि.नं. 4/–18 प0[illegible] 6 कि. नं. [illegible]	रूप सिंह
5	29.08.1979	प0नं0 92/2[illegible] कि.नं. 5/–17, प0नं0 89/274 कि.नं. 8 ता [illegible] प0नं0 90/276 कि.नं. 12 व गैर मुमकिन 10 बिस्वा कुल 5 बीघा 8 बिस्वा	[illegible]जा सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.07 11:14:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर ...ढ़ (राज0)

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

6. पत्रावली का अवलोकन करने से पाया कि तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ द्वारा दर्ज ईन्तकाल दिनांक 06.09.90 में वर्णित भूमि का खसरा नं0/किला नं0 तथा थावरदास को आवंटन आदेश 24.06.76 व बिंदू सं0 05 के विकय पत्रों में वर्णित भूमि का खसरा नं0/किला नं0 एवं का मिलान होना पाया गया।

7. इस प्रकार प्रश्नगत भूमि चक 7 एसटीजी का नामांतरण सं0 102 दिनांक 06.09.1990 को अपास्त किया जाकर पंजीकृत बैयनामा दिनांक 09.05.1977 थावरदास बहक सरूप सिंह, थावरदास बनाम रूप सिंह, व दिनांक 29.08.1979 थावरदास बहक रूप सिंह, थावरदास बहक सरूप सिंह, थावरदास बहक तेजा सिह के अनुसरण में राजस्व रिकार्ड में क्रेतागण/अपीलार्थीगण संख्या 3 व अपीलार्थी संख्या 1, 2 के वारिसान के नाम अंकन किये जाना न्योचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन चक 7 एसटीजी का नामांतरण सं0 102 दिनांक 06.09.1990 को अपास्त किया जाता है व पंजीकृत बैयनामा दिनांक 09.05.1977 थावरदास बहक सरूप सिंह, थावरदास बहक रूप सिंह, व दिनांक 29.08.1979 थावरदास बहक रूप सिंह, थावरदास बहक सरूप सिंह, थावरदास बहक तेजा सिह के अनुसरण में राजस्व रिकार्ड में क्रेतागण/अपीलार्थीगण संख्या 3 व अपीलार्थी संख्या 1, 2 के वारिसान के नाम नियमानुसार नामान्तकरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 02.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदीलाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.07 11:14:33 IST
Reason: SelfAttested